<u>न्यायालय — पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड,म.प्र.</u> (आप.प्रक.क. :— 440 / 2016)

<u>(संस्थित दिनांक :- 25 / 07 / 2016)</u>

म.प्र. राज्य, द्वारा आरक्षी केन्द्र :— मौ जिला–भिण्ड., म.प्र.

.....अभियोजन

## / / विरूद्ध / /

- 01. पहार सिंह पुत्र अजमेर सिंह गुर्जर उम्र 45 वर्ष
- 02. लाखन सिंह पुत्र अजमेर सिंह गुर्जर उम्र 35 वर्ष
- 03. शेर सिंह उर्फ गुटाली पुत्र अजमेर सिंह गुर्जर उम्र 26 वर्ष निवासीगण :— ग्राम सहरौली, थाना—मौ, जिला—भिण्ड, (म.प्र.)

...... अभुयक्तगण

## <u>// निर्णय//</u>

( आज दिनांक : 12/01/2017 को घोषित )

01. अभियुक्तगण पहार सिंह, लाखन सिंह एवं शेर सिंह पर भा.द.सं. की धारा 294, 324/34 एवं 506 भाग।। के अन्तर्गत आरोप हैं कि आरोपीगण ने दिनांक :— 30/06/2016 को सुबह लगभग 10:30 बजे हनुमान मंदिर के पास फरियादी नबल सिंह का खेत स्थित ग्राम सहरौली में, जो कि एक लोकस्थान के पास समीप एक स्थान है, पर फरियादी नवल सिंह को मॉ—बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी नबल सिंह की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त शेर सिंह ने किसी धारदार से फरियादी नबल सिंह की मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहितयाँ कारित की एवं फरियादी नबल सिंह को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर, आपराधिक अभित्रास कारित किया।

- 02. प्रकरण में उभय पक्ष के मध्य राजीनामा हो जाना निर्विवादित एक तथ्य है।
- 03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :— 30/06/2016 को सुबह लगभग 10:30 बजे हनुमान मंदिर के पास फरियादी नबल सिंह का खेत स्थित ग्राम सहरौली में, आरोपीगण द्वारा फरियादी नबल सिंह से गाली—गलौच करने, उसकी किसी धारदार आयुध से मारपीट करने एवं जान से मारने की धमकी देने की लिखित रिपोर्ट फरियादी नबल सिंह द्वारा दिनांक 04/07/2016 को दोपहर 12:30 बजे थाना मौ पर की जाने पर, थाना मौ में आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 128/16 अन्तर्गत धारा 294, 323, 324 एवं 506 भाग।। सहपठित धारा 34 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर

प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। फरियादी नबल सिंह, साक्षी पान सिंह एवं रणवीर सिंह के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

- 04. अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 294, 324/34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. का आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझायें जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया। आरोपीगण का अभिवाक् अंकित किया गया। आरोपीगण एवं फरियादी नबल सिंह के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण अभियुक्तगण को धारा 294 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है।
- 05. न्यायिक विनिश्चय हेत् प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :--
- 01. क्या आरोपी शेर सिंह ने दिनांक : 30 / 06 / 2016 को सुबह लगभग 10:30 बजे हनुमान मंदिर के पास फरियादी नबल सिंह का खेत स्थित ग्राम सहरौली में, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी नबल सिंह की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त शेर सिंह ने किसी धारदार से फरियादी नबल सिंह की मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहतियाँ कारित की?
  - 02. अंतिम निष्कर्ष ?

## सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष

06. फरियादी नबल सिंह अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपी शेर सिंह उर्फ गुटाली, लाखन एवं पहाड़ सिंह को जानता है, उक्त आरोपीगण उसके गांव सहरौली के रहने वाले है। घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक 04/11/2016 से लगभग छः माह पहले की होकर सुबह के समय की हनुमान मंदिर के पास स्थित उसके खेत की है। साक्षी आगे कहता है कि उसका आरोपीगण से मेढ़ संबंधी विवाद हो गया था। जिस पर आरोपीगण ने उसे मॉ—बहन की अश्लील गालियाँ दी थी और जान से मारने की धमकी दी थी। उक्त घटना की रिपोर्ट उसने पुलिस थाना मौ में की थी, जो प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके सामने घटनास्थल पर आकर नक्शा—मौका प्र.पी. 02 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने घटना के संबंध में उससे पूछताछ कर उसका बयान लिया था। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी फरियादी नबल सिंह अ.सा.01 ने आरोपी शेर सिंह ने दिनांक: 30/06/2016 को सुबह लगभग 10:30 बजे हनुमान मंदिर के पास फरियादी नबल सिंह का खेत स्थित ग्राम सहरौली में, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर अभियुक्त शेर सिंह द्वारा उसकी किसी धारदार से मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहतियाँ

कारित करने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है। इस वावत् फरियादी नबल सिंह अ.सा.01 की न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तथा उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 एवं पुलिस कथन प्र.पी.03 के तथ्यों के मध्य ऐसे लोप है, जो विरोधाभाष की प्रकृति के है।

- 07. आरोपीगण एवं फरियादी नबल सिंह के मध्य राजीनामा हो जाने का तथ्य अभिलेख पर है और फरियादी नबल सिंह अ.सा.01 के न्यायायलीन अभिसाक्ष्य में भी आया है।
- 08. अभियोजन द्वारा इस बावत कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह प्रकट होता हो कि आरोपी शेर सिंह ने दिनांक : 30 / 06 / 2016 को सुबह लगभग 10:30 बजे हनुमान मंदिर के पास फरियादी नबल सिंह का खेत स्थित ग्राम सहरौली में, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी नबल सिंह की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त शेर सिंह ने किसी धारदार से फरियादी नबल सिंह की मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहतियाँ कारित की।
- 09. अभियोजन आरोपीगण पहार सिंह, लाखन सिंह एवं शेर सिंह के विरूद्ध धारा 324/34 भा.द.सं का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्तगण को धारा 324/34 भा.द.सं. के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।
- 10. अभियुक्तगण की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित। एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद